प्रेस विज्ञप्ति

12.04.2024

माननीय 47वां अपर नगर सिविल एंव सेशन न्यायाधीश, बैंगलोर (विशेष न्यायालय,पीएमएलए), बेंगलुरु ने जॉन माइकल, पिता- येसुदास को एसपीएल सीसी 132/2015 के दिनांक 08.04.2024 के फैसले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।माननीय न्यायालय ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है और उक्त आरोपी व्यक्ति और उसकी पत्नी श्रीमती मंजुला माइकल के नाम पर 19.28 लाख रुपये की अचल और चल संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय, बैंगलोर ने जॉन माइकल और अन्य के खिलाफ कर्नाटक राज्य पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और पुलिस अधिकारियों द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दायर आरोप पत्र (चार्जशीट) के आधार पर जांच शुरू की

ईडी के जांच से पता चला कि उक्त आरोपी व्यक्तियों ने बैंगलुरु विकास प्राधिकरण (बीडीए) के साइटों के आवंटन से संबंधित जाली सेल डीड (बिक्री विलेख) प्रदान करके शिकायतकर्ताओं और उनके दोस्तों से 1.45 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की जबकि उक्त राशि का भुगतान वैध सेल डीड (बिक्री विलेख) के लिए किया गया था।

ईडी द्वारा दिनांक 28.02.2012 और दिनांक 06.08.2014 के दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए थे, जिसमें उपरोक्त आरोपी व्यक्ति और उनकी पत्नी श्रीमती मंजुला माइकल के नाम पर अपराध के आय के रूप में शिनाख्त किए गए 19.28 लाख रुपये की चल -अचल संपत्तियां कुर्क की गई थीं।इसके बाद, ईडी द्वारा जॉन माइकल और उनकी पत्नी श्रीमती मंजुला माइकल के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), बैंगलोर के समक्ष 17.03.2015 को एक अभियोजन शिकायत दायर की गई थी, जिसमें अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया गया था।दोनों पक्षों से मामले को सुनने के बाद, माननीय न्यायालय ने जॉन माइकल को पीएमएलए की धारा 3 के तहत परिभाषित और धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 4 के तहत धन-शोधन के लिए दंडनीय अपराध का दोषी पाया और दिनांक 08.04.2024 के फैसले की घोषणा की।

मामले के एक अन्य आरोपी श्रीमती मंजुला माइकल ,पति- जॉन माइकल फरार हैं और उनके खिलाफ ईडी द्वारा एक अलग अभियोजन शिकायत दायर की गई है जो परीक्षण के अधीन है।

******